

## प्रेस विज्ञप्ति

नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के Pet Dogs हेतु प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.11.2022 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में बोर्ड बैठक के निर्देशानुसार आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 एवं NGOs व आमजन से प्राप्त सुझाव के आधार पर आवारा/पालतू कुत्ते/पालतू बिल्ली हेतु दिनांक-12.12.2022 से नीति निम्नानुसार लागू की जाती है-

### (A) आवारा कुत्तों से सम्बन्धित नीति:-

4. AWBI (Animal Welfare Board of India) एवं शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

### 5. Sterilization & Anti Rabies Vaccination: -

नौएडा प्राधिकरण द्वारा सभी आवारा कुत्तों की नसबन्दी की व्यवस्था की गई है। नसबन्दी के साथ ही एंटी रैबीज का टीका भी अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा। वर्तमान में कार्यरत दो एजेन्सियों एवं CVO के माध्यम से सरकारी अस्पताल को भुगतान के आधार पर पैनल में रखा गया है। ये एजेन्सी रोस्टर के अनुसार जिस सैक्टर या सोसाइटी में जाएंगी वहां नसबन्दी का कार्य पूर्ण करने व सम्बन्धित पदाधिकारियों से प्रमाण पत्र लेने के बाद ही अगले सैक्टर या सोसाइटी में जाएंगी। ग्रामों में यह प्रमाण पत्र वहां के पांच गणमान्य निवासियों से लिया जाएगा। टीकाकरण का पूर्ण रिकार्ड आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/ग्राम एवं संस्था द्वारा रखा जायेगा तथा एक वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही एंटी रैबीज के लिए प्राधिकरण की नामित एजेन्सी को सूचित करना होगा। Sterilization के बाद सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/सम्मानित ग्रामवासियों के सत्यापन/प्रमाण पत्र के बिना कोई भी धनराशि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित एजेन्सियों को नहीं किया जायेगा।

### 6. Shelter Home:-

नौएडा प्राधिकरण द्वारा आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/ग्राम के निवासियों की सहमति व मांग पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ डॉग्स शेल्टर के लिये भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। शेल्टर होम प्राधिकरण के व्यय पर स्थापित किया जायेगा, जहां शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त बीमार/उग्र/आक्रामक हो चुके कुत्तों को ही निगरानी के लिए रखा जायेगा। यहाँ पर इनका खान-पान, रख-रखाव एवं देखरेख हेतु पैरावेट की व्यवस्था सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/ग्राम के निवासियों (जिनके द्वारा सहमति दी गई है) के द्वारा किया जायेगा, इसके लिए एक टोल फ्री न0 जारी किया जायेगा, जिस पर निवासियों द्वारा कुत्तों की आक्रामकता/उग्रता के सम्बन्ध में सूचना दी जा सकेगी। तदानुसार प्राधिकरण द्वारा नामित कर्मचारियों के माध्यम से निकटतम शेल्टर होम में इन कुत्तों को ले जाने की कार्यवाही की जायेगी। उनके स्वभाव में परिवर्तन सकारात्मक होने पर उन्हें वापस अपने स्थान पर छोड़ा जायेगा।

### 4. Feeding Point:-

डॉग फीडर्स की मांग एवं उनके सहयोग से स्वयं आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/ग्राम के निवासियों द्वारा फीडिंग स्थल यथावश्यकता स्वयं चिन्हित किये जायेंगे। जहाँ पर उनके द्वारा यह बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा कि “स्ट्रीट डॉग्स को भोजन इसी स्थल पर ही खिलाएं।”

खाने एवं पानी की व्यवस्था फीडर/आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा ही की जाएगी। यदि कोई फीडिंग पॉइन्ट चिन्हित होते हैं तो उनकी सफाई की जिम्मेदारी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। फीडर किसी भी फ्लैट/कॉमन एरिया/बैसमेंट/कॉरीडोर या किसी और के घर के गेट के सामने खाना नहीं दे सकते।

## 5. General Conditions

- (i) Stray dogs are protected under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and Rules enacted under Section 38 of the Act, particularly, the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 के नियमानुसार स्ट्रीट डॉग्स को उसके स्थान से हटाया जाना पशु क्रूरता के अधिनियम के विरुद्ध है। किसी भी प्रकार की क्रूरता की स्थिति में सूचना/साक्ष्य प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही ही जायेगी।
- (ii) आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 में कुत्तों के व्यवहार/संपर्क कैसे करें इसकी जागरूकता हेतु प्रयास किया जाए।
- (iii) सड़क पर रहने वाले जानवरों के प्रति आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा मानवता दिखाते हुए विशेषकर सर्दियों में सुरक्षात्मक सामग्री दी जाए।
- (iv) 10 या 10 से कम देसी निराश्रित कुत्तों को सड़क अथवा पशु शरणालयों से गोद लेने वाले परिवारों को नौएडा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन से छूट दी जायेगी तथा एनिमल बर्थ कंट्रोल कैम्पस में ऐसे कुत्ते की नसबंदी एवं प्रथम टीकाकरण निःशुल्क किया जायेगा।
- (v) जिस सैक्टर/ए0ओ0ए0 से मांग आई है वहाँ यथावश्यकता डॉग फीडर के पहचान पत्र सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा दिया जायेगा।
- (vi) स्ट्रीट डॉग्स हेतु सीरियल नम्बर टैग प्राधिकरण द्वारा इम्पैनल्ड एजेंसियों द्वारा Sterilization के समय अंकित किया जायेगा।

## (B) पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों से सम्बन्धित नीति:-

### 1. रजिस्ट्रेशन:-

- (i) सभी Pet Dogs मालिकों को Pet Dogs का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
- (ii) रजिस्ट्रेशन शुल्क Pet Dogs मालिकों द्वारा Pet Dogs के रखने हेतु निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क 500/-प्रति वर्ष अप्रैल मास में देय होगा।

### 2. रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण:-

- (i) रजिस्ट्रेशन एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
- (ii) रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य), नौएडा/लाईसेन्स प्राधिकारी के पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा रजिस्टर्ड पशुचिकित्सक द्वारा जारी टीकाकरण के कार्ड/प्रपत्र दिखाने के पश्चात ही किया जायेगा।
- (iii) रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य अवश्य कराना होगा।
- (iv) प्रत्येक व्यक्ति जो Pet Dog का मालिक हो, Pet Dog रखने के दिनांक से 30 दिन के अंदर अपने Pet Dog को App पर रजिस्टर कराना सुनिश्चित करेंगे।

### 3. Sterilization & Anti Rabies:-

- (i) चिकित्सा सम्बन्धित समस्या के मामले में परामर्शदाता पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
- (ii) NAPR (Noida Authority Pet Reg.) APP पर पंजीकरण शुल्क के तहत मुफ्त एंटीरेबिज वैक्सीन की सुविधा Empanelled Doctors/सरकारी अस्पताल के माध्यम से प्रदान की जायेगी। नसबंदी एवं चिकित्सीय सहायता हेतु हैल्प लाईन नम्बर 9999352343 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

#### 4. **Pet Owner Responsibility: -**

- (i) सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर किसी भी समय लीश (पट्टा) में ही घुमाना अनिवार्य होगा।
- (ii) कोई भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना प्रतिबंधित है।
- (iii) पालतू कुत्तों को यथासम्भव सोसायटी की सर्विस लिफ्ट से ही आवागमन किया जायेगा। AWBI Guidelines के अनुसार पालतू कुत्ते का मालिक लिफ्ट में अपने पालतू कुत्ते को अत्यन्त सावधानी पूर्वक यथासम्भव मजल का प्रयोग करते हुए आवागमन सुनिश्चित करेगा। जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति या जानवर को जोखिम उत्पन्न न हो।
- (iv) पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शौच किया जाता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी पालतू कुत्ते के मालिक की होगी।
- (v) पालतू कुत्ते/बिल्ली की मृत्यु की स्थिति में NAPR (Noida Authority Pet Reg.) APP पर सूचित/अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- (vi) पालतू कुत्ते/बिल्ली पर क्रूरता की शिकायत के मामले में नौएडा प्राधिकरण के द्वारा शिकायत का निरीक्षण/जाँच करने के उपरान्त यदि दोष सही पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- (vi) यदि पालतू कुत्ते/बिल्ली को लावारिस छोड़े जाने की शिकायत प्राप्त होने पर नौएडा प्राधिकरण के द्वारा शिकायत का निरीक्षण/जाँच करने के उपरान्त यदि दोष सही पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

#### 5. **RWA/AOA/Village Responsibility: -**

- (i) नौएडा प्राधिकरण के नीति के अतिरिक्त आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/गांव कोई भी अन्य प्रतिबन्ध/नियम नहीं लगा सकते है।

#### 6. **General Conditions: -**

नौएडा क्षेत्र के किसी भी रिहायशी इलाके में फ्लैट/हाऊस में प्रजनन (Breeding) सेन्टर का संचालन प्रतिबन्धित है। नौएडा क्षेत्र में प्रजनन केन्द्र (Breeding Centre)/Pet Shop का सत्यापन के पश्चात् नौएडा प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(C) आवारा/पालतू कुत्ते/बिल्लियों की नीति की शर्तों का उल्लंघन करने पर निम्न आर्थिक दण्ड का प्रावधान है—

क्रम सं०	विवरण	अधिरोपित जुर्माना
1	अवशेष Pet Dog के App पर दिनांक 31.01.2023 तक बिना पेनेल्टी रजिस्ट्रेशन धनराशि	रु० 500/-
2	अवशेष Pet Dog के App पर दिनांक 01.02.2023 से दिनांक 28.02.2023 तक रु० 200/- पेनेल्टी सहित रजिस्ट्रेशन धनराशि	रु० 500 + 200= रु० 700
3	अवशेष Pet Dog के App पर दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 31.03.2033 तक पेनेल्टी सहित रजिस्ट्रेशन धनराशि	रु० 700 + रु० 10 प्रतिदिन
4	Fresh/New डॉग रजिस्ट्रेशन/Renewal हेतु आवेदन 01 मई के उपरान्त किन्तु 31 मई के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो रु० 200/- विलम्ब शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।	रु० 500 + 200= रु० 700
5	यदि 01 जून को अथवा उसके पश्चात् Fresh डॉग रजिस्ट्रेशन/Renewal किया जाता है तो उस स्थिति में रजिस्ट्रेशन शुल्क, विलम्ब शुल्क के साथ अनुसूची में निर्धारित जुर्माना प्रतिदिन की दर से जमा करने के उपरान्त ही रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण किया जा सकेगा।	रु० 700 + रु० 10 प्रतिदिन

6	आवारा/पालतू कुत्ते/पालतू बिल्ली की नीति के प्रकाशन के उपरान्त नौएडा क्षेत्र में 06 माह और उससे अधिक उम्र के किसी भी स्वस्थ पालतू कुत्ते/बिल्ली की नसबंदी कराये जाने की अनिवार्यता की समय सीमा दिनांक 31.01.2023 तक बिना जुर्माना हेतु निर्धारित की गयी है। उक्त समय सीमा के पश्चात उल्लंघन किये जाने पर प्रतिमाह जुर्माना लगाया जायेगा।	रु0 2000/- प्रतिमाह
7	अप्रिय घटना की स्थिति में आर्थिक दण्ड अध्यारोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। यदि कोई पालतू कुत्ता आवारा कुत्तों पर हमला करता है तो आवारा कुत्ते का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा ही कराया जायेगा।	रु0 10,000/-
8	कोई भी Pet Dogs मालिक अपने Pet Dogs को किसी सार्वजनिक स्थान यथा-गली, सड़क, पार्क या सड़क के आस-पास खुला नहीं छोड़ेगा और न ही सड़क, पार्क एवं गली में गंदगी / शौच करायेगा। उल्लंघन करने पर Pet Dogs मालिक पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।	प्रथम बार में रु0 100/- द्वितीय बार में रु0 200/- तृतीय बार में रु0 500/-
9	किसी भी Pet Dogs मालिक द्वारा व्यवसाय करने हेतु Dog Breeding Center का कार्य फ्लैट/मकान में नहीं किया जायेगा। उल्लंघन करने पर Pet Dogs मालिक पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।	रु0 5000/-